

web site: Ifad.rajasthan.gov.in E-mail:dir.lfad@rajasthan.gov.in

0141-2740179 Fax 0141-2740193

निदेशालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, वित्त भवन, ए, ब्लॉक, ज्योति नगर, राजस्थान-जयपुर

दिनांक:- 67.03.024

क्रमांकः प.२(च) २/प्रशा/सू.अ./2015--16/

कार्यालय आदेश संख्या 🗞 / 2023

गृह (ग्रुप-5) विभाग के आदेश संख्या प.3 (23) गृह-5/2005 दिनांक 3.10.05 एवं परिपन्न दिनांक 11.08.07 को अधिकमित / संशोधित करते हुए जारी गृह (ग्रुप-6) विभाग, राज0 जयपुर के आदेश संख्या प.3(25) गृह-6/2006 दिनांक 03.05.07 के परिशिष्ट-2 की निरन्तरता में इस विभाग के कार्यालय आदेश 306/2023 दिनांक 31,10,2023 के अधिल्लधंन में इस विभाग हेतु लोक प्राधिकरण, अपील अधिकारी एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी मनोनीत किया जाता है:-

दिनाक	श मनोनीत किया जाता है:	יייי איייי איייי אייייי אייייי אייייי איייייי
आधका	C THE	(4)
ल	ोक प्राधिकरण	श्री मेवा राम जाट, निदेशक,
1 . अ	पील अधिकारी मय	श्री मेवा राम जीट, निदशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग,वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर।
. प	दनाम	स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग,वित्तं भवन, उथाति नगर, अवपुरा दूरभाष —0141—2740179, मोबाईल नं 9413200465, E-mail:dir.lfad@rajasthan.gov.in
		दूरमाष -0141-274017 अस्तिकारी
		राज्य लोक सूचना अधिकारी
1 राज्य	य लोक सूचना अधिकारी,	श्री शिवचरण मीना, संयुक्त निदेशक(प्रशा.)
स्था	नीय निधि अकक्षण	वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर। वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर। दूरभाष —0141—2740909, मोबाईल नं 9414314977 E-mail:dir-lfad-rj@nic.in
विभ	ाग निदेशालय, जयपुर	दूरभाष -0141-2740909, नापार्थ
2 राज	य लोक सूचना अधिकारी	श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, संयुक्त निदेशक
7011	नीय निधि अंकेक्षण	वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर।
(स्वा	गग,क्षे०का० जयपुर-प्रथम	वित्त भवन,ज्योति नगर, जयपुर। दूरभाष —0141—2740223 मोबाईल नं 9414284026 E-mail:lfad-jpr1-rj@nic.in
194	11ग,वा0पगण जन्दुर गर्	भी अलीम चन्द्र गोयल,अतिरिक्त निदशक,
3 राज	च्य लोक सूचना अधिकारी	वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर।
स्थ	ानीय निधि अंकेक्षण भाग,क्षेoकाoजयपुर—द्वितीय	
विभ	भाग,क्षां कार्यपुर निकारी	िभी नलमी राम अग्रवलि, आतारका भिष्यापः,
4 राष	ज्य लोक सूचना अधिकारी	
	गानीय निधि अंकेक्षण	जन जाति निगम, जनजाति भवन, उदयपुर । पूरभाष — 0141—270703 मोबाईल नं 9414159884 E-mail:liad-uda-nj@niin
वि	भाग,क्षे०का० उदयपुर	श्री सोहन सिंह, अतिरिक्त निदेशक,
5 राष	ज्य लोक सूचना अधिकारी	
45	ग्रानीय निधि अकक्षण	जिला कलक्टर परिसर, अजमेर दूरभाष -0145-2627792 मोबाईल नं 9413017978 E-mail:lfad-ajm-rj@nic.in
िवि	भाग क्षे0का० अजमेर	
6 रा	ज्य लोक सूचना अधिकारी	श्री अमिताभ योगानन्दी, अतिरिक्त निदेशक,
0 75	थानीय निधि अंकेक्षण	मां कृपा भवन रसाल रोड पावटा, जोधपुर। दूरभाष — 0291—2650364 मोबाईल नं. 9460007201 E-mail:lfad-jod-rj@nic.in
E C	त्रभाग,क्षे0का० जोधपुर	ट्यात — 0291—2650364 माबाइल प. 946000728 : 2 mm
- 10	ाज्य लोक सूचना अधिकारी	किस्स विशे शर्मा अतिरिक्त निर्धिण,
7 र	थानीय निधि अंकेक्षण	
4	थानाय ।नाय जपन्या	- 0744-2322210 माबाइल न, 9413624341 E-Married
10	वेभाग,क्षे0का० कोटा	श्री पवन कुमार कस्वां, संयुक्त निर्देशक,
8 र	गज्य लोक सूचना अधिकारी स्थानीय निधि अकेक्षण	श्री पवन कुमार करवां, संयुक्त निर्देशक, नव निर्मित भवन, 12ए, 12बी पेंशन कार्यालय के पीछे, म्यूजियम सर्किल, बीकानेर।
7	विभाग,क्षे0का० बीकानेर	
1	वसाग,क्षां काल अपगार	भे भी गर्ने किसार लगाणिया अतिश्वत ानिदरायः,
9 7	राज्य लोक सूचना अधिकारी	The state of the s
	स्थानीय निधि अंकेक्षण	प्रथम तल, काषालय के उपर, परापप्रठ, नराजुरा दूरभाष — 05644—224075 मोबाईल नं. 9983676666 E-mail:lfad-bha-rj@nic.in
	विभाग,क्षे0का० भरतपुर	दूरभाष - 05644-2240/5 नाबाइल ना उउउउउ उउउउ
	19 11 1)410 1 1.	



(संजयं सोलंकी) निदेशक दिनांक:- 07.03.24

क्रमांकः प.2(च) 2/प्रशा/सू.अ./2015-16/ 108व- 1105 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.संयुक्त शासन सचिव, वित्तं (समन्वय/अंकेक्षण) विभाग, राज0 जयपुर।

2.अतिरिक्त / संयुक्त निदेशक, निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय— जयपुर प्रथम, जयपुर द्वितीय, उदयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, भरतपुर एवं बीकानेर।

3.प्रभारी-गोपनीय,स्थापना,लेखा,गृबन,अंकेक्षण,रिपोर्ट,कम्प्यूटर एंव सतर्कता अनुभाग,मुख्य कार्यालय, जयपुर।

4.सहायक प्रोग्रामर, निदेशाल्य-जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना इस विभाग की वेबसाईट पर अपडेट करे।

5.रक्षित पत्रावली।

(शिवचरण मीना) संयुक्त निदेशक (प्रशा.)

17 Point Information under Section 4(1)(B)

- 1. The particulars of its organization, functions and duties.
- 2. The powers and duties of its officers and employees.
- 3. The procedure followed in the decision-making process, including channels of supervision and accountability: -As Per Standing Order.
- 4. The norms set by it for the discharge of its functions: Not applicable
- 5. The rules, regulation, instructions, manuals and records held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions.
- 6. A statement of the categories of documents that are held by it or under its control
- 7. The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof: - Not applicable.
- 8. A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as the wether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public: -Not applicable.
- 9. A directory of its officers and employees
- 10. The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided it its regulations Gazetted/Non-gazetted: - It is maintained by Account Section.
- 11. The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made: - Not applicable.
- 12. The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes: -Not applicable.
- 13. Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by it: Not applicable.
- 14. Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form
- 15. The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use: - Not applicable
- 16. The names, designations and other particulars of the Public Information Officers and First Appellate Authority
- 17. Such other information as may be prescribed; and thereafter update these publications every year: Not applicable